

कार्यालय जिला कलक्टर भीलवाडा


क्रमांक: न्यायालय / न्यायशुल्क रिफण्ड / 2020 / 6619

दिनांक- 12.6.2020

:: आदेश ::


वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश भीलवाडा द्वारा प्रकरण सं. 50/2018 में निर्णय पारित करते हुए यह आदेश दिया है कि वादी बीएसएल लिमिटेड, 26 इण्डस्ट्रीयल एरिया, पोस्ट बॉक्स नं. 17, गांधी नगर, भीलवाडा जरिये मुख्तयार (पॉवर ऑफ अटोर्नी होल्डर) एवं वरिष्ठ प्रबंधक (विधि) श्री के.पी. जैन आत्मज जगदीशमल जैन निवासी भीलवाडा न्यायशुल्क राशि वापस प्राप्त करने के अधिकारी है और आदेशानुसार प्रकरण में 26,045/- अक्षरे छब्बीस हजार पैतालीस रूपये मात्र न्याय शुल्क लौटाये जाने का प्रमाण-पत्र जारी किया गया है।

अतः न्यायालय आदेशानुसार वादी बीएसएल लिमिटेड, 26 इण्डस्ट्रीयल एरिया, पोस्ट बॉक्स नं. 17, गांधी नगर, भीलवाडा जरिये मुख्तयार (पॉवर ऑफ अटोर्नी होल्डर) एवं वरिष्ठ प्रबंधक (विधि) श्री के.पी. जैन आत्मज जगदीशमल जैन निवासी भीलवाडा को 26,045/- अक्षरे छब्बीस हजार पैतालीस रूपये मद 0030 में वापिस करने (रिफण्ड) की स्वीकृति एतद्द्वारा प्रदान की जाती है।


जिला कलक्टर
भीलवाडा

प्रतिलिपि:-

- 1 वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश भीलवाडा को उनके पत्र क्रमांक 280 दिनांक 13.03.2020 के संदर्भ में सूचनार्थ।
- 2 प्रभारी अधिकारी लेखा अनुभाग कार्यालय हाजा को प्रेषित कर लेख है कि वादी को उपरोक्तानुसार राशि का भुगतान करने की कार्यवाही करें एवं संलग्न प्रपत्र पार्ट तृतीय की पूर्ति की जाकर सम्बन्धित न्यायालय में भिजावें।
- 3 कोषाधिकारी भीलवाडा को प्रेषित कर लेख हैं कि वादी द्वारा स्टाम्प की जमा राशि के चालान की प्रति चाहे जाने पर उ2लब्ध करावें।
- 4 वादी बीएसएल लिमिटेड, 26 इण्डस्ट्रीयल एरिया, पोस्ट बॉक्स नं. 17, गांधी नगर, भीलवाडा जरिये मुख्तयार (पॉवर ऑफ अटोर्नी होल्डर) एवं वरिष्ठ प्रबंधक (विधि) श्री के.पी. जैन आत्मज जगदीशमल जैन निवासी भीलवाडा को प्रेषित कर लेख है कि बैंक खाता नम्बर, पैन नम्बर, आधार नम्बर की फोटोप्रति एवं मोबाईल नं. लेखा शाखा में प्रस्तुत करें।


प्रभारी अधिकारी
न्यायालय अनुभाग